


29-12-25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त अनुपस्थित। वकील अपीलान्त एव अपीलान्त को बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु ना तो वकील अपीलान्त हाजिर आये तथा ना ही अपीलान्त स्वयं हाजिर आये। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव पत्रावली चलाने में अरुचि जाहिर करता है। अतः अपील अपीलान्त अदम पैरवी अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दीनानाथ बिबल)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सुपुल

[Faint handwritten notes in Hindi]

[Faint official stamp and signature]

[Handwritten notes in Hindi]

